न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2017 **दायर दिनांकः 06/03/2017**

उनवान

1. कृष्णचन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी डड़वाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 82 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी डड़वाडा (मृतक)

1/1 ललिता बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा

1/2 गायत्री बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा

1/3 सुनिताबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा

1/4 गुलाबबाई बेवा बद्रीलाल जाति मीणा निवासीगण डडवाड़ा तह0 अटरू जिला बारां राज0।

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् बंटवारा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 23/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डड़वाडा तहसील अटरू जिला बारां के माल में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की खाता संख्या 45 की ख0न0 29 रकबा 2.34 है0, एवं खाता संख्या 56 की ख0नं0 30 रकबा 0.45 है0 एवं खाता संख्या 107 की ख0नं0 34 की 2.16 है0, ख0नं0 35 की 0.28 है0, ख0नं0 39 की 2.15 है0, ख0नं0 40 की 0.66 है0, ख0नं0 54/566 की 0.12 है0, ख0नं0 55/567 की 0.04 है0, ख0नं0 57 की 2.04 है0, ख0नं0 59 की 2.70 है0 ख0नं0 60 की 0.59 है0 ख0नं0 62 की 0.01 है0 ख0नं0 63 की 4.24 है0, ख0नं0 67 की 0.83 है0, ख0नं0 67/534 की 0.04 है0, ख0नं0 160 की 0.16 है0, ख0नं0 161 की 0.19 है0, ख0नं0 189 की 0.

03 है0, ख0नं0 253 की 0.04 है0, ख0नं0 257 की 0.06 है0, ख0नं0 280 की 0.07 है0, ख0नं0 261 की 0.18 है0, ख0नं0 262 की 0.18 है0, ख0नं0 266 की 0.13 है0, ख0नं0 268 की 0.22 है0 कुल किता 24 की 17.16 है0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 बद्रीलाल का खाता सं0 45 में 2/3 हिस्सा, खाता संख्या 56 मे 2/3 हिस्सा एवं खाता सं0 107 में 1/4 एव। खाता संख्या 55 का ख0नं0 31/517 की 0.36 है0 सम्पूर्ण हिस्सा खाते दर्ज है। जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पूर्वजों से विरासत में मिली है। नकल जमाबन्दी 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर हैं। वादी प्रतिवादी क्रम 1 का पुत्र है। जिस पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि पर वादी का जन्मजात हित निहित है। चूँकि वादी प्रतिवादी क्रम 1 का पुत्र व वेध वारिस है और अलग से निवास करता है वादी ही प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त, स्वामित्व व हिस्से की भूमि पर काश्त करता है चूंकि प्रतिवादी क्रम 1 वृद्ध है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित वादी के हिस्से, कब्जे व स्वामित्व की आराजी वादी के पिता प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज होने से वादी को कृषि विकास कार्य करवाने में व के0सी0सी0 आदि लेने में काफी असुविधा होती है। इसलिये वादी ने दिनांक 20.01.2017 को प्रतिवादी क्रम 1 से खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो उन्होंने खाता विभाजन करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। वाद कारण प्रथम व अन्तिम बार दिनांक 20.01.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से खाता विभाजन करवाने का निवेदन करने पर व उसके द्वारा मना करने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त स्थल एवं पक्षकारान ग्राम डडवाड़ा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित पैत्रृक सम्पत्ति प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त व स्वामित्व का खाता विभाजन किया जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी

में से बुरी वादी के पृथक से खाते दर्ज की जावें व इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

(ब) वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि उपरोकत वाद पत्र में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष वादी कम 1 ता 8 हम प्रतिवादीगण को मन्जूर है। चाहे गये अनुतोष में एवं प्रार्थना पत्र हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। उक्त वाद में खातेदार बद्रीलाल पुत्र कालूलाल मीणा निवासी डडवाडा की मृत्यु दिनांक 20.09.2018 को हो चुकी है। उनके मरने के वाद वादी एवं प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 जायज वारीस है। जिसमें किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नही है। मृतक बद्रीलाल के खाते की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 के बराबर–बराबर खाते दर्ज करदी जावें। जिसमें किसी को कोई आपत्ति नही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त जवाब पेश कर निवेदन है कि उक्त वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष हमे स्वीकार है। बद्रीलाल के खाते की सूची बराबर–बराबर वारीसान के 1/1 से 1/4 खाते दर्ज कर दी जावें। प्रतिवादी कम 2 द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW1 के बयान लेखबद्व किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया और साक्ष्यवादी पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम डडवाड़ा में प्रतिवादी कम 1 के खाता संख्या 45 किता 1 रकबा 2.34 है0 में हिस्सा 2/3 खाता संख्या 56 किता 1 रकबा 0.45 है0 शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 2/3 खाता संख्या 107 किता 24 रकबा 17.16 है0 में 1/4 हिस्सा खाता संख्या 55 किता 1

रकबा 0.36 है0 हिस्सा सम्पूर्ण वादी के पिता बद्रीलाल के हिस्से में दर्ज है। वादी के पिता बद्रीलाल की मृत्यु 20.09.2018 को हो चुकी है। जिसके वैध वारिस, कायम मुकामात बनाये गये, वादी एवं 1!1 से 1/4 तक बद्रीलाल के पुत्र पुत्री पत्नि है। जिसका पिता की भूमि पर अधिकार है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी ग्राम डडवाड़ा में वादी के पिता बद्रीलाल का खाता संख्या 45 किता 1 रकबा 2.34 है0 में हिस्सा 2/3 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 को 1/5—1/5 हिस्से का व खाता संख्या 56 किता 1 रकबा 0.45 है0 में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 2/3 में वादी व प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 को 1/5—1/5 हिस्से का व खाता संख्या 107 किता 24 रकबा 17.16 है0 में 1/4 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 को 1/5—1/5 का व खाता संख्या 55 किता 1 रकबा 0.36 है0 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी कम 1 में वादी एवं प्रतिवादी कम 1/1 से 1/4 को 1/5—1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 22/2017

उनवान

1. कृष्णचन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी डड़वाडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 82 वर्ष पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी डड़वाडा (मृतक)
1/1 ललिता बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा
1/2 गायत्री बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा
1/3 सुनिताबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा
1/4 गुलाबबाई बेवा बद्रीलाल जाति मीणा निवासीगण डडवाड़ा तह0 अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् बंटवारा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम डडवाड़ा में वादी के पिता बद्रीलाल का खाता संख्या 45 किता 1 रकबा 2.34 है0 में हिस्सा 2/3 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/4 को 1/5–1/5 हिस्से का व खाता संख्या 56 किता 1 रकबा 0.45 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 2/3 में वादी व प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/4 को 1/5–1/5 हिस्से का व खाता संख्या 107 किता 24 रकबा 17.16 है0 में 1/4 हिस्से में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/4 को 1/5–1/5 का व खाता संख्या 55 किता 1 रकबा 0.36 है0 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी क्रम 1 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 से 1/4 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: